

I. K. Singh / 104



USCC 305989



विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : ₹ 2,44,071/-
बाजार मूल्य : ₹ 1,43,000/-
स्टाम्प शुल्क : ₹ 24,500/-
पटगना : बिजनौर

यह विक्रय विलेख राम दयाल पुत्र श्री लक्ष्मण निवासी-धाम
सूफ नगर ठरई बगियामऊ, पटगना बिजनौर तहसील व जिला
सम्भनऊ जिल्हे आनेविक्रीतायला गया है, एवम् अन्तल

नि. न. २०६५८८

ANSAI...
18, Bana... Mang, Lucknow

(6) (3)

शारदा कौशिक, बखनऊ

दिनांक 23/11/2014
पुस्तक संख्या 1234
पत्र संख्या 5678
पता - [unclear] बखनऊ

शारदा कौशिक
[Signature]

₹ 244.00
49.00 + 49.00

शारदा कौशिक
दिनांक 23/11/2014
पुस्तक संख्या 1234
पत्र संख्या 5678
पता - [unclear] बखनऊ

शारदा कौशिक (प्रकाशक)
बखनऊ
2014



शारदा कौशिक द्वारा पुस्तक का प्रकाशन किया गया है।
पुस्तक का नाम [unclear]
पुस्तक संख्या [unclear]
पत्र संख्या [unclear]
पता - [unclear] बखनऊ





- 2 -

इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (प्रा०) लिमिटेड, द्वारा उप प्रबन्धक
परियोजना श्री कौशलेन्द्र किशोर सिंह पुत्र श्री गहेन्द्र सिंह,
कार्यालय-भुतल वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13 राणा प्रताप मार्ग,
ललानऊ, जिन्हें आगे भेजा गया है, के कब्जे निष्पादित किया
गया।

यह कि सिकेंतागुमि सन्धापित षट्वार्षिक खातीनी सन् 1408
से 1413 फसली के खाता खातीनी क्रम सं० 95 के ससरा
संख्या-117, रकबा 0.046 हेक्टेअर, ससरा सं० 119 रकबा
0.038 हेक्टेअर, ससरा सं० 304 रकबा 0.276 हेक्टेअर, व

Reserve Bank of India
General Super Market Building
15, Broadway, Calcutta

संस्कृत विभाग, दिल्ली

दिनांक 3-11-54

पुस्तक

श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

कृपया कृपया यह पुस्तक दिल्ली
के श्री श्री श्री विद्यापीठ
के पुस्तकालय में भेजी जाये
ये पुस्तक श्री श्री श्री विद्यापीठ
के पुस्तकालय में भेजी जाये

आपका विश्वसनीय
साथी


श्री श्री श्री विद्यापीठ



संकेत : यह प्रतिलिपी के तैयार
किये गये हैं।

आपका विश्वसनीय
साथी

2/11/54



- 3 -

खसरा संख्या-324 कागा 0.419 हेक्टर कुल चार कित्ता व कुल खेती 0.779 हेक्टर का 1/6 भाग खानि 0.130 हेक्टर स्थित ग्राम मुसफ नगर उर्फ बगियायत, परगना बिजनीर, तहसील व जिला- लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिल है तथा उपरोक्त सत्यापित षष्ठाधिक हाता खतीनी वग संख्या 95 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेताके नाम का अमल बरान्द राज्य अभिलेखों में हो गया है। विक्रेताअपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पुत्रे हाशो ह्यारा में जेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेताउपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिल है



- 4 -

एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं साफ व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बरा, हिंसा, गिल्ली या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्त का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तर्गत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव

२५५५५

२५५५५

२५५५५

२५५५५




- 5 -

उपरोक्त सन्मति के फलस्वरूप रा० 2,44,070/- (दो लाख चौबीस हजार इकठ्ठाट रुपया मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विदेहाकी इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विदेहा नहीं स्वीकार करता है, तदनुसार क्या विदेहाउपल क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विवेक विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को बलाई देव दिया है, एवं विदेहाने विक्रयशुदा भूमि का मीठे पर कय्या क्रेता को बसूरी करा दिया गया है। अब ऊक्त आदालती

२५५५

२५५५




- 6 -

यह विक्रेता तथा उसके वाटिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेताने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व को समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तांतरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगा। विक्रेताउत्तममें किसी प्रकार की अड़थक याथा नहीं डाल सकेगा एवं न ही कोई मांग कर सकेगा। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेताके स्वामित्व में नुटि के कारण या कानूनी अड़थक या कानूनी नुटि के



THE GOVERNMENT OF INDIA
 GOVERNMENT PRINTING PRESS
 1950



- 7 -

कारण जेता या उसके वारिसान निष्पादवागम इत्यादि के बाधे या अधिकार या ह्वाक से निकल जाये तो जेता उसके वारिसान, निष्पादवागम इत्यादि को वह हक होगा कि वह अपना समस्त मुकसान भरा हर्जा व खर्चा, विद्वेतायी चल, अचल सम्पत्ति से जैसिये अदालत वाजुन कर ले। उस स्थित में विद्वेताएवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि जेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विद्वेतायो कोई आपत्ति न होगी और वह कि इस विक्रय मिलेला के पूर्व का अगर

३/११/५७

13. 11. 1957



- 8 -

कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विद्येताभुगतान व वहन करेंगे, विद्येताको कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर छान धुनुफानगर उर्फ बनियामऊ, अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट छान के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकारी रेट रु० 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विद्येता भूमि 0.130 हेक्टेयर की मालियत रु० 1,43,000/- होती है, चूंकि विद्येता मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार वित्तिय मूल्य पर ही रु०

२१/५/५४

११/५/५४




- 9 -

24,500/- कागजल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विहारीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए तैयार की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मीटर के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विहारीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपथीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विहारीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विहारा अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। हल विहारीत विहारा के निगमन का समस्त खर्च केला द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विहारेलाने केला के पक्ष में लिख दिया ताकि सनाद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आये।

27/11/2022

2022/11/27



- 10 -

परिशिष्ट : लखनऊ विक्रयमूदा सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या-117, रकबा 0.046 हेक्टेअर, खसरा सं० 119 रकबा 0.038 हेक्टेअर, खसरा सं० 304 रकबा 0.276 हेक्टेअर, व खसरा संख्या-324 रकबा 0.419 हेक्टेअर कुल चार किलो व कुल रकबा 0.779 हेक्टेअर का 1/6 भाग यानि 0.130 हेक्टेअर स्थित ग्राम मुसुफ नगर उर्फ गगिबामऊ, परगना सिलनीर, तहसील द जिला- लखनऊ गिराफ़ी चौहदरी निम्न है।

खसरा नं० 117

पृथक् : खसरा संख्या-119, 120

परिवर्त : खसरा संख्या-116

0/1/1/1/1/1

0/1/1/1/1/1

0/1/1/1/1/1

0/1/1/1/1/1

उत्तर : खसरा संख्या-118
दक्षिण : खसरा संख्या-121

खसरा नं० 119

पूरुब : नहर
पश्चिम : खसरा संख्या-117
उत्तर : नहर
दक्षिण : खसरा संख्या-120

खसरा नं० 304

पूरुब : खसरा संख्या-306
पश्चिम : खसरा संख्या-299
उत्तर : खसरा संख्या-303
दक्षिण : खसरा संख्या-305

खसरा नं० 324

पूरुब : शीपा ग्राम कान्जहरा तहसील मोहनलाल
गंज
पश्चिम : खसरा संख्या-352
उत्तर : खसरा संख्या-322
दक्षिण : सीमा ग्राम हसनपुर खैवली

11/11/2015

11/11/2015


कमाला नदी

भाग 1 - मुख्यतः उत्तरी क्षेत्रों में
 1000, 1100, 1200, 1300

भाग 2 - मुख्यतः दक्षिणी क्षेत्रों में

भाग 3 - उत्तरी क्षेत्रों में

विभिन्न क्षेत्रों के लिए विद्यमान अलग-अलग
 या विवरण




समाप्ति - 1991

शाम 1 - कुलक नगर के समीप
 जमीन क्षेत्र :- 210, 220, 230, 240

जिला :- जयपुर

विभाग :- राजपूताना

विभाग क्षेत्र के समीप स्थित जमीन क्षेत्रों का विवरण




21/10/91

21/10/91


रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिंट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : राजेश कुमार / 12, बंगला, दिल्ली
 राजेश कुमार / 12, बंगला, दिल्ली

बायें हाथ के अंगुठियों के चिह्न :




दाहिने हाथ के अंगुठियों के चिह्न :




प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : राजेश कुमार / 12, बंगला, दिल्ली
 राजेश कुमार / 12, बंगला, दिल्ली

बायें हाथ के अंगुठियों के चिह्न :



दाहिने हाथ के अंगुठियों के चिह्न :



विक्रेता/विक्रेता का नाम व पता : राजेश कुमार / 12, बंगला, दिल्ली

राजेश कुमार / 12, बंगला, दिल्ली

...
 ...
 ...



...
 ...
 ...
 ...
 ...

